

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / ३५८
दिनांक : २७.१२.२०२१

सेवा में,

✓ सचिव / प्राचार्य
श्री साई महाविद्यालय,
फतेहपुर पुट्टी, बागपत।

४

२१

महोदय,

कृपया अपने अदिनांकित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा उन्होंने स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता / 1230 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा अनुमोदित असिस्टेंट प्रोफेसर श्री प्रदीप कुमार, हिन्दी (शैक्षिक योग्यता—एम0ए0, नेट-10, पी0एच0डी0-17) की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता / 1230 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा अनुमोदित असिस्टेंट प्रोफेसर श्री प्रदीप कुमार, हिन्दी (शैक्षिक योग्यता—एम0ए0, नेट-10, पी0एच0डी0-17)) को पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन का समय विस्तारित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही महाविद्यालय में कार्यरत रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : रामदत्ता / ३३४५
दिनांक : ०२/१/२०२२

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,
श्री सांई महाविद्यालय,
फतेहपुर पुट्टी, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 02.08.2022 का रान्दर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय / संरथान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित वी०ए० (इतिहास) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1	Dr. Kuldeep Kr. Tyagi	Asst. Prof. (Hist.)	M.A. (Hist.) Ph.D.	Dr. Jagdish M.M. College, Khekhra Dr. K.K. Sharma M.M. Degree College Modinagar, GZB

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित वी०ए० (इतिहास) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर शासन / यू०जी०सी० / नियामक संरथा के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक रोवा होने की रिथति में रोवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मात्रा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु / त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त रथान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संरथान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संरथान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पारी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2201
 दिनांक : 21-08-2023

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,
 श्री साईं महाविद्यालय,
 फतेहपुर पुट्ठी, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 17.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय / संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Anil Kumar Sirohi	Asst. Prof. (Eng.)	M.A, Ph.D.	Prof. Vikas Sharma CCSU, Meerut Dr. Avdhesh Kumar Meerut College, Meerut
2-	Km. Meenu	Asst. Prof. (Socio.)	M.A. NET	Dr. Devendra Pal Singh Tomar J.V. College, Baraut Dr. Kamlesh Bhardwaj S.D. College, GZB
3-	Dr. Anju Jain	Asst. Prof. (Eco.)	M.A. Ph.D.	Dr. Sanjeev Kumar CCSU, Meerut Dr. Ajeet Singh MMH College, GZB

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0ए0 पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन / यू०जी०सी० / नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गृणवता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की रिस्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विख्याण दिया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु / त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / ३४५।
दिनांक : ०३/१०/२०२२

सेवा में,

✓ सचिव / प्राचार्य,
श्री साईं महाविद्यालय,
फतेहपुर पुट्ठी, बागपत।

KY

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 15.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय / संस्थान में रखित पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०४० (चित्रकला) पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Monika Thenua	Asst. Prof. (Drg. & Ptg.)	M.A. (Hin.) Ph.D. (22)	Dr. Madhu Bajpayee (Retd.) Meerut College, Meerut Dr. Ved Pal Singh D.A.V. College, MZN

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार रखित पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०४० (चित्रकला) पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य पद पर शासन / यू०जी०सी० / नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की रोजाये सेवायाकरण रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की सिद्धान्त गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मात्रा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु / त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यगार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)